तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदे इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
30/9/15	वकील फरीकेन उप0। वकील प्रतिवादी को साक्ष्य स्वतः बंद होने की हिदायत दिये जाने के बावजूद भी कोई साक्ष्य पेश नहीं किये हैं। अतः साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 14/10/15 को पेश हो। ह0	
14/10/15	वकीलों के कन्डोलेंस के कारण पूर्वानुसार वास्ते ....बहस.... दिनांक ....9.12.15.......... को पेश हो। ह0	
9/12/15	वकील फरीकेन उप0। बहस उभय पक्षान सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 30/12/15 को पेश हो। ह0	
30/12/15	वकील फरीकेन उप0। पूर्वानुसार वास्ते आदेश दि0 6/1/16 को पेश हो। ह0	
6/1/16	वकील फरीकेन उप0। दावा वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर घोषित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। ह0	

न्यायालय उप जिला कलक्टर सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी- श्री मुकेश कुमार मीना आर.ए.एस. उप जिला कलक्टर सपोटरा

मु0नं0	किस्म	ता0दायरा	तारीख निर्णय
56/10	दावा	27.10.10	06.01.16

वीरेन्द्र राजपाल पुत्र सुरेन्द्र राजपाल जाति राजपूत निवासी बड़ौदा तहसील सपोटरा जिला करौली(राज)

-वादी

बनाम

1. चिरंजी 2. लड्डू 3. भरतलाल 4. मुरारी 5. पोटू पिसरान रम्बल 6. तुलसा पत्नि रम्बल सभी जाति माली निवासी बड़ौदा (गजराजपाल) तहसील सपोटरा जिला करौली।

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः- श्री श्यामप्रकाश गर्ग वकील वादी।
श्री धीरेन्द्रपालसिह वकील प्रतिवादीगण।

संक्षेप में वाद तथ्य वादी इस प्रकार से है कि वादी ने एक वाद विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नं0 206 रकबा 06 बिस्वा वाके ग्राम बड़ौदा(गजराजपाल) तहसील सपोटरा जो कि वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। वादी जमीन को काश्तकर दोनो फसले पैदा करता है। इस साल वादी ने तिली व ग्वार की फसल काश्त की है। प्रतिवादीगण झगड़ालू किस्म के आदमी है। और गिरोह बन्द है। वादी पैसे और ताकत मे कमजोर है। वादी की कमजोरी का प्रतिवादीगण नाजायज फायदा उठाना चाहते है। प्रतिवादीगण के मेरी उक्त जमीन से लगे हुए बाड़े व मकानियत है। प्रतिवादीगण ताकत के बल पर मेरी जमीन को हड़पना चाहते है। दिनांक 9.10.2010 को प्रतिवादीगण ने जबरन मेरी खड़ी फसल मे अपनी भैंस घूसा दी और मेरी खड़ी फसल को उजाड दिया। मैने मना किया तो आमादा फिसाद हो गये और धमकी दी कि अभी तो तुम्हारी फसल ही उजाड़ी है आयन्दा तुम्हे कभी भी फराल नही करने देगें व जबरन कब्जा करेगें। और डोल तोड़कर अपनी मकानियत की जमीन मे विवादित खेत को मिला देगें। यही वजह नालिस है। इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी सं0 1 ता 4 की ओर से वकील ने उपस्थित आकर जवाबदावा पेश कथन किया कि विवादित आराजी पर वादी का भौतिक आधिपत्य नही है वादी द्वारा दिनांक 9.10.2010 की मिथ्या घटना मनगढन्त तथ्यों पर मिथ्या वाद हेतुक बनाने के लिए बताई गई। इसलिए वाद पत्र खारिज होने योग्य हैं। प्रतिवादीगण 1 ता 6 गरीब मजदूर पेशा व्यक्ति है। वादी केवल खावेदारी की आड मे प्रतिवादीगण के जमीन व बाडे को हड़पने की नियत से प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने हेतु पेश किया है जो खारिज होनेअ योग्य है। प्रतिवादी सं0 5 के विरूद्व वादी कोई कार्यवाही नही चाहते है। प्रतिवादी सं0 6 बावजूद तामील उपस्थित नही आये इसलिए इसके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। वाद तथ्य, जवाबदावा एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर किता पांच तनकीयात कायम की गई। वकील वादी ने साक्ष्य मे वादी विरेन्द्र राजपाल का शपथ पत्र पेश किया जिसरो जिरह रिकार्ड की गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य में वकील वादी द्वारा नकल जमाबंदी ग्राम बड़ौदा सम्वत् 2065-68 प्रदर्श 1 की है। प्रतिवादी ने साक्ष्य मे प्रतिवादी सं0 1 का शपथ पत्र पेश किया, कई अवसर दिये जाने पर भी प्रतिवादी चिरंजी अपनी जिरह हेतु उपस्थित नही आये, इसलिए प्रतिवादी सं0 1 की जिरह बंद की गई। दस्तावेजी साक्ष्य मे प्रतिवादी ने कोई साक्ष्य पेश नही किये गये। तनकीवाईज विवेचन निम्न प्रकार है।

उप जिला कलेक्टर सपोटरा जिला-करौली

Scanned by CamScanner

1. आया विवादित आराजी खसरा नं0 206 रकबा 06 बिस्वा स्थित ग्राम बढ़ोदा तहसील सपोटरा वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है? इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। मुताबिक जमाबंदी सं0 2065-68 प्रदर्श 1 वादी विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। इसलिए यह तनकी वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।
2. आया वादी उक्त आराजी के सम्बन्ध मे प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है? इस तनकी को भी साबित करने का भार वादी पर है। जैसा कि तनकी नं0 1 से स्पष्ट है वादी विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, इसलिए वादी प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद कराने का अधिकारी है। इसलिए यह तनकी भी वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।
3. आया आराजी विवादित पर वादी के कब्जे का अभाव है? इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। कब्जे के सम्बन्ध मे प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे यह साबित हो कि विवादित आराजी पर वादी का कब्जा नही हो, ना ही प्रतिवादी ने अपनी जिरह रिकार्ड करवाई है। इसलिए यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।
4. वादी का वाद मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज योग्य है? इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। वादी विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार मुताबिक जमाबंदी सं0 2065-68 स्पष्ट है। प्रतिवादी ने कोई ऐसा साक्ष्य एवं दस्तावेज नही पेश किया है जिससे यह साबित हो कि वादी का वाद मिथ्या तथ्यों पर आधारित हो, इसलिए यह तनकी भी विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।
5. अनुतोषः- उपर्युक्त तनकीवाईज विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादी विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है, इसलिए वादी प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2065-68 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं उपर्युक्त तनकीवाईज विवेचन से भी यह साबित है कि वादी प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद कराने का अधिकारी है। इसलिए दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम बढ़ोदा (गजराजपाल) तहसील सपोटरा की आराजी खसरा नं0 206 रकबा 06 बिस्वा में वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत मजामहत नही करे ना ही किसी दीगर से करावे। वादी को शांतिपूर्वक काबिज रहने दे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश आज दिनांक 06.01.2016 को खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उप जिला कलक्टर
सपोटरा जिला करौली

Scanned by CamScanner